न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :–352/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/377)

1. इशाक पुत्र नसरू
2. मो. अली पुत्र महबूब उर्फ अयूब

} जाति मुसलमान निवासीयान सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती नूरन पुत्री रहमदीन
2. मोहम्मद हनीफ पुत्र रहमदीन
3. शब्बीर पुत्र रहमदीन

} जातियान मुसलमान निवासी सूरवाल

4. ग्राम पंचायत सूरवाल जरिए सरपंच ग्राम पंचायत सूरवाल
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.03.2017 मुकदमा नंबर 13/13 न्यायालय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर वउनवानी श्रीमती बिस्मिल बनाम हनीफ वगैराह

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 28.12.2023

उक्त द्वितीय अपील एल.आर.एक्ट की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व श्रीमती विस्मिल द्वारा अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के विरूद्ध उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में ग्राम पंचायत सूरवाल द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 1758 दिनांक 22.12.1982 के विरूद्ध एल.आर.एक्ट की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश की गई थी। जिसमें उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 23.03.2017 के द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1758 दिनांक 22.12.1982 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश दिया है कि रहमदीन पुत्र भूरा कौम मुसलमान निवासी सूरवाल के विधिक वारिसान की सम्पूर्ण जॉच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावे। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली प्राप्त होने पर अपील में बहस सुनी गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2017 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से 31 वर्ष बाद अपीलाधीन

नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। जिसे मात्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों से सहमत होना मानकर स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नही आता है, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये है कि मियाद बाहर प्रस्तुत की गई अपील में विलम्ब के प्रत्येक दिन के कारण को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। स्वयं विस्मिल व नूरन ग्राम सूरवाल में निवास करते है तथा उक्त नामान्तकरण की अपील के जरिये खातेदारी अधिकार प्राप्त कर नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात को खुर्दबुर्द करने के उद्देश्य से उक्त अपील पेश की गई है। जबकि अधिकारों का विनिश्चय सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर घोषणा के उपरान्त बाद साक्ष्य ही निर्धारित किया जा सकता है, परन्तु उपरोक्त तथ्य पर अदालत मातहत द्वारा कोई गौर नही किया गया। इसलिए अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने श्रीमती विस्मिल की मृत्यु दिनांक 08.01.2014 को हो जाने के कारण उसका नाम आदेश दिनांक 13.11.2014 के द्वारा हजव किया गया। जबकि 90 दिवस में कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण अपील स्वतः अवेट हो चुकी थी। अदालत मातहत ने रैस्पोडेन्ट 1 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए बिना उक्त आदेश पारित किया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। नामान्तकरण संख्या 1758 में अंकित भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त है तथा शुरू से ही काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होते चले आ रहे है। उक्त भूमि से रैस्पोडेन्ट का कोई संबंध व वास्ता नहीं है। ग्राम पचायत द्वारा पूर्ण जॉच पडताल के बाद ही अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किये जाने, साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना पारित किया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित था। इस संबंध में अपीलान्टस की ओर से तहत न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर पुनः सुने जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिसे दिनांक 27.09.2017 को खारिज कर सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने की हिदायत दी गई। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्टस को सुने बिन अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपने अधिवक्ता से होने पर उन्होंने उपरोक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में दिनांक 18.04.2017 को प्रस्तुत किया था। जिसे दिनांक 27.09.2017 को खारिज किये जाने के कारण अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2017 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2017 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 24.10.2017 को अपील पेश की गई है, जो कि मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टस की ओर से अपील को पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में मीमो आफ अपील के साथ दफा 5

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

28.12.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.04.2017 को होने पर अदालत मातहत में रिव्यू हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने व उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2017 को खारिज किये जाने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने का अनुरोध किया है। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्टस को अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज करने से बचना चाहिए। उक्त प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है व इसके विपरित कोई दस्तावेज हमारे समक्ष उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्टस की ओर से अपीलाधीन निर्णय के संबंध में प्रथम आपत्ति यह की गई है कि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत की गई अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका अपीलान्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में विद्वान उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2017 में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अंकित कारणों से सहमत होते हुए रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें कोई अनियमितता नजर नहीं आती है। वैसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर लिये गये निर्णय में बिना किसी उचित व पर्याप्त कारण के हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलान्टस की उक्त आपत्ति सारहीन होने के कारण मानने योग्य नहीं है। रैस्पोडेन्टस की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील में मृतक खातेदार का सजरा पेश करते हुए यह उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान की विधिवत जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। जिसके संबध में विद्वान उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने यह माना है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1758 दिनांक 22.12.1982 को खातेदार रहमदीन के विधिक वारिसान की सम्पूर्ण जॉच किये बिना फैसल किया गया है। इस नामान्तकरण को खारिज करते हुए प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेपित किया गया है कि रहमदीन पुत्र भूरा कौम मुसलमान निवासी सूरवाल के विधिक वारिसान की सम्पूर्ण जॉच की जाकर नामान्तकरण नियमानुसार दर्ज किया जावे। इस निर्णय में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त निर्णय के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा न तो किसी व्यक्ति के हक–हकूक या स्वामित्व तय किया गया है और न ही किसी को खातेदारी दी गई है। वरन् मृतक खातेदार की विधिक वारिसान की सम्पूर्ण जाच कर नामान्तकरण नियमानुसार दर्ज किये जाने का आदेश दिया है। वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि खातेदारान द्वारा विवादित भूमि को अपीलान्टस को विक्रय कर दिये जाने के कारण उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए हैं तथा विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं तो इस संबंध में अपीलान्टस तहसीलदार सवाई माधोपुर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। अपीलाधीन निर्णय के संबंध में तहसील कार्यालय में लम्बित प्रकरण में पक्षकार बन कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.23

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर